"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2009—श्राषाढ़ 2, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम, उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुश्री बी. अंजली आत्मजा स्व. बी. एन. राव, निवासी-जोन-1, बी. एम. वाय., चरोदा, तह.-पाटन, जिला -दुर्ग (छ. ग.) की निवासी हूं. मैंने विधिक प्रावधानों से दिनांक 22-06-2007 को जिला उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग (छ. ग.) में दत्तकग्रहण विलेख (गोदनामा) निष्पादित कर एस. साई कृष्णा को दत्तकपुत्र गोद ली हूं. इस कारण से, एस. साई कृष्णा पिता एस. लक्ष्मीनारायण राव एवं माता श्रीमती एस. रत्नमाला का नाम, उपनाम परिवर्तन होकर बदल गया है और अब मेरे दत्तक पुत्र का नाम, उपनाम (कुलनाम) बी. साई कृष्णा माता सुश्री बी. अंजली हुआ है तथा इस आशय का (गोदनामा) दत्तकग्रहण विलेख और शपथपत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: भविष्य में मेरे दत्तक पुत्र को बी. साई कृष्णा माता सुश्री बी. अंजली के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम उपनाम
एस. साई कृष्णा पिता-एस. लक्ष्मीनारायण राव माता-श्रीमती एस. रत्नमाला निवासी-पंचशीलनगर, पश्चिम चरोदा, तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बी. साई कृष्णा माता-सुश्री बी. अंजली निवासी-जोन-1, बी. एम. वाय., चरोदा तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कमिश्नर कार्यालय, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2009

क्रमांक/2352/सामान्य/2009.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत नीचे लिखे जिलों के सम्मुख दर्शित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्थानीय अवकाश दिवस (3)	दिनांक (4)
1.	बिलासपुर	1. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या 2. दशहरा (महा-अष्टमी) 3. भाईदूज	18 सितम्बर, 2009 26 सितम्बर, 2009 19 अक्टूबर, 2009
2.	कोरबा	1. पोला 2. दशहरा (महा-अष्टमी) 3. भाईदूज	19 अगस्त, 2009 26 सितम्बर, 2009 19 अक्टूबर, 2009
3.	रायगढ़	1. दशहरा (महा-अष्टमी) 2. नामदेव जयंती/कार्तिक एकादशी 3. छेरछेरा	26 सितम्बर, 2009 29 अक्टूबर, 2009 31 दिसम्बर, 2009
4.	जांजगीर-चांपा	1. हरेली 2. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या 3. भाईदूज	22 जुलाई, 2009 18 सितम्बर, 2009 19 अक्टूबर, 2009

एस. के. तिवारी,
कमिश्नर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 8 जुलाई, 2009

रा. प्र. 1/बी./113/08-09

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

क्रमांक /943/पं/अविअ/रा/लो. न्यास/2009.— चूंकि अध्यक्ष, श्री बालाजी टेम्पल कमेटी, जगदलपुर, नि सी-जगदलपुर, तहसील-

जगदलपुर ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 03-08-2009 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के तारीख से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुतकर्ता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की सामाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री बालाजी टेम्पल कमेटी, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ. ग.)

2. चल संपत्ति : भारतीय स्टैट बैंक (कलेक्ट्रेट ब्रांच), जगदलपुर के बचत खाता क्रमांक-10460910045 में जमा राशि दिनांक 27-12-2008 की स्थिति में रु. 62,321.00 (बासठ हजार तीन सौ इक्कीस रुपए) है.

3. अचल संपत्ति : मौजा-जगदलपुर (देहात)

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टे.)
95/20	0.036
95/23	0.036
95/48	0.012
95/79	0.083
4	**0.167**

जोगेन्द्र नायक,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 14 जुलाई 2009

क्रमांक/354/उपंरा/परि./2009.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मुरमुन्दा, पंजीयन क्रमांक 302 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./727 दिनांक 08-09-2005 से श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/ पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मुरमुन्दा, पंजीयन क्रमांक 302, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 14-7-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.